



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228061
CG-DL-E-01072021-228061

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ 10, 1943

No. 373]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 463(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 की अनुसूची में, प्रविष्टि संख्या (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: -

"(4) पेटेन/आइसोपेटेन"

[फा. सं. एम-12043/9/2020-ओएमसी-पीएनजी]

डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 519(अ) दिनांक 5 जून, 2000 और अंतिम रूप से सा.का.नि. 282(अ) दिनांक 26 मार्च, 2010 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2021

G.S.R. 463(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to further amend the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000, namely:-

1.Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Amendment Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000, in the Schedule for entry number (4), the following entry shall be substituted, namely:-

“(4) Pentane/ Isopentane”.

[F. No.M-12043/9/2020-OMC-PNG]

Dr. NAVNEET MOHAN KOTHARI, Jt. Secy.

Note:- The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 sub-section (i) vide number G.S.R. 519(E) dated the 5th June, 2000 and lastly amended *vide* number G.S.R. 282(E) dated the 26th March, 2010.